



G2G



माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुर्वोरका, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, पिन-247120)

Website-msuniversity.ac.in

Email ID - nss@msuniversity.ac.in

पत्रांक : १ / एन०एस०एस० / एम.एस.यू. / २०२३-२४

दिनांक १५ / १२ / २०२३

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
 समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
 माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

विषय:- मार्ग मुख्यमन्त्री जी की अध्यक्षता में गठित "उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद" की सम्पन्न बैठक दिनांक 02.12.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के पत्रांक सं-3405 / सत्तर-3-2023 दिनांक 13.12.2023 के संलग्न पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 15.12.2023 से 31.12.2023 तक मनाये जाने की अपेक्षा की गयी है जिसके क्रम में निम्नवत् निर्देश दिये जा रहे हैं-

1. सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश के समय रोड सेपटी क्लब के माध्यम से बिना लाइसेंस व बिना हेलमेट के शिक्षकों/विद्यार्थियों/अभिभावकों की जाँच करते हुए उनकों सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया जाये।
2. मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 05.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में दिवसवार कार्यक्रमों में शामिल होकर पखवाड़े में उच्च शिक्षा विभाग का योगदान सुनिश्चित किया जाये।
3. आयोजित पखवाड़े के प्रत्येक दिवस में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के परिसर में बिना हेलमेट/सीटबेल्ट लगाये आने वाले समस्त कार्मिकों को प्रथमतः संचेत किया जाये एवं पुनरावृत्ति की स्थिति में वाहन पर बिना नम्बर हेलमेट/सीटबेल्ट लगाये हुए कार्मिकों का प्रवेश निषिद्ध करते हुए अनुपस्थित माना जाये।
4. सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में निबन्ध/भाषण प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में आवश्यक रूप से किया जाये।
5. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों/विद्यार्थियों को गुड सेमेरिटन बनने हेतु प्रोत्साहित किया जाये जिससे वह दुर्घटना के समय गोल्डन ऑवर में पिडित को अस्पताल पहुँचाया जा सके।
6. एक्सपर्ट को बुलाकर दुर्घटना के कारणों व रोकने के उपायों की जानकारी गोच्छी के माध्यम से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों/विद्यार्थियों को विशेष रूप से प्रदान की जाये।
7. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा नियमों व संकेत चिह्नों की जानकारी के पोस्टर नोटिस बोर्ड पर लगाये जाये एवं अध्यापकों/विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा संकेतकों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की जाये।
8. सड़क सुरक्षा पखवाड़े के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को भी आमन्त्रित किया जाये एवं उनसे भी मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।
9. समस्त कार्यवाहियों की समय-समय पर फोटोग्राफी व विडियोग्राफी भी करायी जाये।
10. सड़क सुरक्षा पखवाड़े के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार सोशल मिडिया के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाये।

अतः उक्त के सन्दर्भ में आपसे अपेक्षा की जाती है कि समस्त राठोड़ों इकाई मॉ शाकुम्हरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन कराते हुए समेकित आख्या कार्यालय ई-मेल nss@msuniversity.ac.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,


(डॉ भूपेन्द्र कुमार)
नोडल सडक सुरक्षा

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कुलपति कार्यालय को माठ कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव कार्यालय को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3. शैक्षणिक समन्वयक, मॉ शाकुम्हरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर को इस आशय से कि वह उक्त कार्यक्रम विश्वविद्यालय में कराना सुनिश्चित करे।
4. गार्ड फाईल।


नोडल सडक सुरक्षा

महत्वपूर्ण / समयबद्ध
संख्या-३४०५ / सत्र-३-२०२३

प्रेषक,

डॉ अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०
प्रयागराज।
2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय
उ०प्र०।
3. विशेष कार्याधिकारी,
राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक।
4. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-३

लखनऊ : दिनांक 13 दिसंबर, 2023

विषय : मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित 'उत्तर प्रदेश शाज्य सङ्कर सुरक्षा परिषद' की सम्पन्न बैठक दिनांक 02.12.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूच्य हो कि शीतऋतु में घने कोहरे व कम दृश्यता के कारण सड़क दुर्घटनाएं होने की सम्भावना अत्यधिक हो जाती है, इस उद्देश्य से 5E-Education, Enforcement, Engineering, Emergency Care & Environment पर फोकस करते हुए एकजुट होकर कार्य किया जाना है। इस कार्य में परिवहन विभाग, गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, घिकित्सा विभाग एवं शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसके कम सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 31 दिसंबर, 2023 तक मनाने का निर्णय लिया गया है, के कम में निम्नवत् निर्देश दिये जा रहे हैं:-

1. सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में प्रवेश के समय रोड सेफ्टी क्लब के माध्यम से बिना लाइसेंस एवं बिना हेल्मेट के शिक्षकों/विद्यार्थियों/अभिभावकों की जाच करते हुए उनको सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया जाय।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 05 दिसंबर, 2023 (छायाप्रति संलग्न) के कम में दिवसवार कार्यक्रमों में शामिल होकर पखवाड़े में उच्च शिक्षा विभाग का योगदान सुनिश्चित किया जाय।
3. आयोजित पखवाड़े के प्रत्येक दिवस में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के परिसर में बिना हेल्मेट/सीटबेल्ट लगाये आने वाले समस्त कार्मिकों को प्रथमतः सचेत किया जाय एवं पुनरावृत्ति की स्थिति में वाहन पर बिना नम्बर हेल्मेट/सीटबेल्ट लगाये हुए कार्मिकों का प्रवेश निषिद्ध करते हुए अनुपस्थित माना जाय।
4. सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में निवन्ध/भाषण प्रतियोगिता का आयोजन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में आवश्यक रूप से किया जाय।
5. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों/विद्यार्थियों को गुड सेमिरेटन बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाय जिससे वह दुर्घटना के समय गोल्डेन ऑवर में पीड़ित को अस्पताल पहुँच सके।
6. एक्सपर्ट को बुलाकर दुर्घटना के कारणों व रोकने के उपायों की जानकारी गोष्ठी के माध्यम से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों/विद्यार्थियों को विशेष रूप से प्रदान की जाय।
7. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा नियमों व संकेत विन्हों की जानकारी के पोस्टर नोटिस बोर्ड पर लगाये जाएं एवं अध्यापकों/विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा संकेतकों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की जाय।

NSS लोग-१५५
पा० १२/२०२३

9/11/23
14.11.23

१०९०
८११२२३

8. सड़क सुरक्षा पखवाडे के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाय एवं उनसे भी मार्गदर्शन प्राप्त किया जाय।

9. समस्त कार्यवाहियों की समय-समय पर फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

10. सड़क सुरक्षा पखवाडे के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों का प्रदार-प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में मुख्य सचिव महोदय के सलान पत्र दिनांक 05.12.2023 में सड़क सुरक्षा पखवाडे के सम्बन्ध में उत्तिलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आच्छ शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


संलग्नक-यथोक्त।


भवदीय,
१३/११/२१
(डॉ० अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

सच्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षामंत्री जी, उ०प्र० शासन।
2. निजी सचिव, मा० परिवहन मंत्री जी, उ०प्र० शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, टिहरी कोठी, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।


(डॉ० अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

19111401147/2003

गहत्यापूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या-440457
तोस-3-2023

प्रेषक

मुख सचिय कार्यालय में दुर्गा शंकर मिश्र,
प्राप्त दिनांक ०६/१२/२३ मुख्य सचिय,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेया में

- ४५**

 - समस्त मण्डलायुक्त, ३०प्र०।
 - समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, ३०प्र०।
 - समस्त जिलाधिकारी, ३०प्र०।
 - पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गोतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी/आगरा/ गाजियाबाद/प्रयागराज
 - समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, ३०प्र०।

परिवहन अनुभाग-3

लखनऊ, दिनांक ०५ दिसम्बर, २०२३

$\alpha^{off}(M)$

4

(प्रमो ०६/१२/२३
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन)

D_c(SPM) / 50-3

संहोत्य

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विगत वर्षों में शीत ऋतु में घने कोहरे व कम दृश्यता होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। शीत ऋतु में दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के प्रयोजनार्थ सभी सड़क प्रयोक्ताओं (समस्त प्रकार के वाहन चालकों एवं पैदल यात्रियों) तथा आम-जनमानस को जागरूक किया जाना आवश्यक है। इस हेतु अन्तर्रिभागीय समन्वय के साथ यूद्ध अभियान चलाया जाना अनिवार्य है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शीत क्रतु में सड़क दुर्घटनाओं व उनसे होने वाली मृत्यु की भंज्या में कमी लाये जाने के उद्देश्य से 55- एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इन्जीनियरिंग, इमरजेंसी केयर और इन्डास्ट्रील मैट पर फोकस करते करते हुए, एकजुट होकर कार्य करना है। उक्त के दृष्टिगत सड़क सुरक्षा से जुड़े समस्त विभागों- परिवहन विभाग, गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा विभाग तथा शिक्षा विभाग की कार्ययोजना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में द्वितीय सड़क सुरक्षा परखाड़ा दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. कृपया संलग्न कार्यक्रम के अनुसार सड़क सुरक्षा पख्ताड़ा को सफल बनाने हेतु यथा आवश्यक संबंधित विभागों से परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए प्रावश्यक कार्यवाही की जाये तथा प्रिन्ट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रधार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाये।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

Digitally Signed by द्वारा

Digitally

Date 05-12-2023 17:01:16

(द्वारा संलग्नक-यथोक्त

मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवु

प्रतिलिपि लिम्ननिष्ठित को संख्नाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रियत:

1. निजी सचिव, माझ परियहन मंत्री जी, 30प्र० शासन।
2. स्टोफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र० शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग, 30प्र० शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, 30प्र० शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विकित्सा स्थान्त्रय एवं परियार कल्याण विभाग, 30प्र० शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विकित्सा शिक्षा विभाग, 30प्र० शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, 30प्र० शासन।
8. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, 30प्र० शासन।
9. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वैसिक शिक्षा विभाग, 30प्र० शासन।
10. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, 30प्र० शासन।
11. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, 30प्र० शासन।
12. पुलिस महानिदेशक, 30प्र०।
13. परियहन आयुक्त, 30प्र० लखनऊ।
14. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पीड़ा/यूपीडी।
15. प्रबन्ध निदेशक, 30प्र०रा०स०परियहन निगम, लखनऊ।
16. निदेशक, यातायात, 30प्र० लखनऊ।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल० देक्टेश्वर ल०)

प्रमुख सचिव।

सड़क सुरक्षा पखवाड़ा (दिनांक 15.12.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक) हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम की लिपरेखा

सड़क सुरक्षा पखवाड़े के आयोजन हेतु सामान्य निर्देश :-

- प्रत्येक जनपद में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन पखवाड़े से पूर्ण किया जाए. जिसमें बैठक के एजेंडा बिन्दु एवं उनके माध्यम से एकलूपता के प्रयोजनार्थी मुख्य सविष्यत, ३०५० शासन के पत्र दिनांक २६.०७.२०२३ द्वारा निर्गत किये गये मानक संचालन प्रक्रिया (एसओ०पी०) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा ही इस बैठक में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के सफल आयोजन हेतु विचार-विवरण करते हुए लिये गये निर्णयों का कियान्वयन आयोजित पखवाड़े के दिवसावार योजना के अनुसार किया जाए। (कार्यवाही-जिलाधिकारी/मध्यसंघ, जिला सड़क सुरक्षा समिति)
- आयोजित पखवाड़े के प्रत्येक दिवस में पब्लिक एड्रेस सिस्टम प्रवेश करने वाले विमानों द्वारा राष्ट्र भवित के गीतों के साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार कर जनमानस को जागरूक किया जाए।
- आयोजित पखवाड़े एवं भविष्य में भी नियमित रूप से सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से जनिकर्ता रूप से किया जाए। (कार्यवाही-समस्त विभाग)
- दिनांक 12.12.2023 को अधिसूचित उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना जांच योजना-2023 के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जनपद में ०३ था अधिक सड़क दुर्घटना मृत्यु वाली दुर्घटनाओं की जांच हेतु दुर्घटना जांच समिति एवं जनपद स्तरीय समन्वय समिति के गठन की कार्यवाही पखवाड़े के अंतर्गत पूर्ण की जाए। (कार्यवाही-जिलाधिकारी/सहाय तकायाय परिवहन अधिकारी)
- आयोजित पखवाड़े के प्रत्येक दिवस में समस्त विमानों के कार्यालय परिसर में विना हेल्पेट/सीटबेल्ट लगाये आरे वाले समस्त कार्मिकों को सार्वजनिक रूप से सचेत किया जाए तथा इस हेतु कार्यालय परिसर में चेतावनी सूचक बोर्ड भी लगाया जाए एवं पुनरावृत्ति की स्थिति में चाहन पर विना हेल्पेट/विना सीटबेल्ट लगाये हुए कार्मिकों का प्रवेश निषिद्ध करते हुए उन्हें अनुप्रस्थित माना जाए। सभी कार्यालयालयका द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि कार्यालय के समस्त सरकारी/अनुबंधित/प्राइवेट वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य रूप से लगे हों। (कार्यवाही-समस्त विभाग)
- आयोजित पखवाड़े के द्वारा समस्त सड़क निर्माण विभाग/एन०एच००आई०/अन्य निर्माण एजेंसी प्रारम्भ के ०३ दिनों में स्ट्रीड ब्रेकर का निरीक्षण करते हुए कम्बर तोड़ स्पीड ब्रेकर की पहचान करें एवं अवशोष अवधि में उनके स्थान पर टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर का निर्माण करते हुए सभी टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर पर अनिवार्य रूप से थर्मोप्लास्टिक पैट कराया जाना सुनिश्चित करें। (कार्यवाही-समस्त सड़क निर्माण विभाग/एन०एच००आई०/अन्य निर्माण एजेंसी)
- ✓ ➤ सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन सभी विद्यालयों में प्रार्थना समा में छात्रों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की ज्ञानकारी दिया जाना एवं सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण कराया जाना तथा समस्त विद्यालय/महाविद्यालय परिसर में प्रवेश के सभी रोड सेफ्टी क्लब के माध्यम से विना लाइसेंस एवं विना हेल्पेट के शिक्षकों/विद्यार्थियों/अभियावक की जांच करते हुए उनको सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया जाए। (कार्यशाही-ऐसिक, माध्यमिक एवं उच्च विकास विभाग)
- सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के प्रत्येक दिन नगर विकास विभाग द्वारा शहरों में समुचित प्रकाश व्यवस्था हेतु मार्ग पर स्ट्रीट लाइट के स्थापित होने एवं उसके क्रियाशोलता को सुनिश्चित किया जाए। (कार्यवाही-नगर विकास विभाग)
- सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत समस्त आई०टी०एम०एस० वाले शहरों तथा एक्सप्रेस-वे पर स्थापित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से कैचर किये हुए उल्लंघन-कर्ताओं का शत-प्रतिशत चालान सुनिश्चित किया जाना। (कार्यवाही-पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, नगर विकास विभाग, यीडा, यूपीआर)

► शीत क्रतु में कम दृश्यता के कारण समस्त एक्सप्रेस-वे और अंतरिक्षीय तथा एनोएच००३०आई०/ ती०नी०वि००(एन०१५०) द्वारा पखवाडे के प्रत्येक दिवस में (पखवाडे के उपरान्त शीत क्रतु की समाप्ति तक) सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े हुए बाहन/ खराक दशा में खड़े हुए बाहनों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने संबंधी कार्यवाही हेतु प्रभावी ऐटोलिंग किया जाना सुनिश्चित करें। एस०एच० तथा अन्य श्रेणी के मार्गों पर उपरोक्तानुसार ऐटोलिंग की कार्यवाही पुस्तिका विभाग के द्वारा की जाए।

(कार्यवाही-पुलिस विभाग, एन०एच०एस्ट्राई०, लोहनीयगढ़ (एन०एच०), यीडा, यूपी३१)

➤ समस्त दो पहिया/चार पहिया वाहन डीलर्स शो-रूम के बाहर सड़क सुरक्षा संवर्धित डिस्प्ले ईनर/होर्डिंग (न्यूनतम 12 x 8 फिट) का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से स्थापित करते हुए प्रदर्शन किया जाए तथा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुपालन में शो-रूम के अन्दर कार्नर स्थापित कराते हुए उसकी सूचना परिवहन, मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही—परिवहन विभाग)

उपरोक्त बिन्दुओं के क्रम में सड़क सुरक्षा पखवाड़े की दिवसवार कार्ययोजना निम्नदत्त है:-

दिवस	परिवहन विभाग	परिवहन निगम	पुलिस विभाग	समस्त निर्माण एजेंसियां (नोडल- लोगनिंग)	शिक्षा विभाग	विकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, विकित्सा शिक्षा विभाग
प्रथम दिवस	<ul style="list-style-type: none"> सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अंतर्रिविभागीय समन्वय से आयोजित किया जाए, जिसमें परिवहन एवं पुलिस विभाग की सक्रिय भागीदारी होंगी। उद्घाटन समारोह परिवहन एवं पुलिस विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा आयोजित किया जाये। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य घटियि के रूप में जनपद के मात्र सांसद, माझ विधायक, पुलिस आयुक्त तथा जिलाधिकारी को आमंत्रित किया जाये। समस्त स्टेक होल्डर विभागों (स्टोक निर्माण विभाग तथा अन्य सड़क स्वामित्व वाले विभाग/एजेंसी, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, विकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा विकित्सा शिक्षा विभाग) के जनपदस्तरीय अधिकारियों को समारोह में सम्मिलित करने हेतु आमंत्रित किया जाए। समारोह में परिवहन से जुड़े वस/ट्रक/आटो यूनियन, एनजीओ के पदाधिकारी, परिवहन निगम के चालक/परिचालक आदि को भी सम्मिलित किया जाए। उद्घाटन समारोह के सड़क सुरक्षा संस्थां प्रधार वाहन को उपस्थित माझ जनप्रतिनिधि द्वारा फर्से और करते हुए पखवाड़े का शुभारम्भ कराया जाये। परिवहन विभाग के मुख्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में समस्त जनपदों में सड़क दुर्घटना पीड़ित परिजनों को उद्घाटन समारोह में उनके अनुमत्वों को साझा किये जाने हेतु आमंत्रित किया जाए तथा आम-जनमानस को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति संवेदीकृत किये जाने के दृष्टिगत उनके अनुमत्वों का वीडियो स्लिप प्रदान कराया जाए। उद्घाटन समारोह के समाप्त में सड़क सुरक्षा की शपथ ग्रहण करायी जाये। उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही की फोटोग्राफ तथा सूचना मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाए। 					
द्वितीय दिवस	एल०१०३१० युक्त पल्सिस्टी बैन, परिवहन निगम के समस्त सभी बस/ ट्रक/ ऑटो/ ई- रिक्शा विभाग/एजेंसी (लोगनिंग), एड्युकेशनल स्टेट्स सिस्टम, सोशल मीडिया यात्रियों को सड़क सुरक्षा तथा टैक्सी चालकों एवं एनरचएर्ड, उपशा, उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों, अध्यापकों एवं सबवित गोष्ठी का	प्रायोगिक, माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों से समर्पित कर्त्तव्यों में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों से संबंधित कार्यवाही की विवरणीय विवरण दिया जाए।				

2618364/2023/-3

	जन-मानस में सङ्क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा सके।	प्रति बसों एवं बस डिपो में स्थापित पब्लिक एडेस सिस्टम एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक किया जाए।	पदाधिकारियों के साथ परिवहन विभाग के समन्वय से सङ्क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से किया जाना।	विकास विभाग) द्वारा अपने कार्यालय परिसर/टोल लाजा में कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी को एकत्र कर गोष्ठी का आयोजन किया जाए तथा सङ्क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने हेतु सङ्क सुरक्षा शपथ दिलाई जाये एवं जागरूक किया जाए।	अभिभावकों के मध्य सङ्क सुरक्षा एवं यातायात नियमों से संबंधित गोष्ठी/सेमिनार तथा सोशल मीडिया के माध्यम से सङ्क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने हेतु सङ्क सुरक्षा शपथ दिलाई जाये।	आयोजन किया जाए।
तृतीय दिक्षा	एलईडी० युक्त पब्लिसिटी वैन, कार्यालय में स्थापित पब्लिक एडेस सिस्टम, सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से आप जन-मानस में सङ्क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा सके।	परिवहन निगम के समस्त चालकों/परिवालकों एवं यात्रियों को सङ्क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति बसों एवं बस डिपो में स्थापित पब्लिक एडेस सिस्टम एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक किया जाए।	सभी बस/ ट्रक/ ऑटो/ ई- रिक्षा तथा टैक्सी चालकों एवं उनके यूनिफन के पदाधिकारियों के साथ परिवहन विभाग के समन्वय से सङ्क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना।	1-वर्ष 2023 में चिह्नित नवीन लैंक स्पॉट का सत्यापन कर सङ्क निर्माण विभाग/एजेंसी का निर्धारण एवं सभी लैंक स्पॉट का विश्वकर्मा एप में अंकन का कार्य पूर्ण कराया जाये। 2- वर्ष 2023 में चिह्नित नवीन लैंक स्पॉट पर तात्कालिक सुचाइ वाले कार्यों को चिह्नित कर उन्हें पखवाड़े के समाप्ति से पूर्व पूर्ण कराया जाए।	सभी स्फूटी वाहनों के चालकों का सामान्य विकित्सालयों में सङ्क सुरक्षा एवं यातायात नियमों से संबंधित गोष्ठी का आयोजन किया जाए।	समस्त राजकीय विकित्सालयों में सङ्क सुरक्षा एवं यातायात नियमों से संबंधित गोष्ठी का आयोजन किया जाए।
चतुर्थ दिवस	1-समस्त व्यवसायिक वाहनों/ ड्रैफ्ट ट्रैलिंगों के पीछे रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप /यैक लाइट/ कॉग लाइट के मानक अनुरूप लगे होने/ क्रियाशीलता सुनिश्चित कराना। 2-राजकीय विकित्सालयों में सुनिश्चित कराना।	1-परिवहन निगम की समरत वसों/अनुबन्धित वसों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप/यैक लाइट/कॉग लाइट के मानक अनुरूप लगे होने/ क्रियाशीलता सुनिश्चित कराना।	इंकन ड्राइविंग, ओवरस्टीडिंग, रेड लाइट जम्बिंग, दो पहिया वाहन पर तीन रावरी वेकिंग के विस्तृद अभियान।	1-वर्ष 2023 में चिह्नित नवीन लैंक स्पॉट का सत्यापन कर सङ्क निर्माण विभाग/एजेंसी का निर्धारण एवं सभी लैंक स्पॉट का विश्वकर्मा एप में अंकन का कार्य पूर्ण कराया जाये।	उद्य प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों एवं मध्यविद्यालयों में सङ्क सुरक्षा से संबंधित निगम के बस चालकों का यातायात जॉच कार्ड के अनुसार नेत्र एवं स्वास्थ्य सभी विद्यार्थियों को जॉच किया जाना। (प्रथम	राजकीय विकित्सालयों में समस्त व्यवसायिक वाहन चालकों एवं परिवहन निगम के बस चालकों का यातायात जॉच कार्ड के अनुसार नेत्र एवं स्वास्थ्य जॉच किया जाना। (प्रथम

M

१)		परिवहन निगम के बस चालकों का स्वास्थ्य जॉच कार्ड के अनुसार नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करना।		सूचना को प्रेषित किया जाना।		
सचिव दिक्षित	<p>ए०आर०टी०ओ०, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सहयोग से व्यवसायिक वाहन चालकों/परिवालकों/प्राईवेट एम्बुलेंस कर्मी/टोल लाजा कर्मी/राजमार्गों पर स्थिति ढाबों के इच्छुक व्यक्तियों/पेट्रोल पम्प कर्मी/गैरुज के मैकेनिक का जनपद/निकटतम मेडिकल कॉलेज में आयोजित बेसिक ट्रायाल लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जाना।</p> <p>2-ओवर लौडिंग/गलत नं० प्लेट, बिना एचएसआरपी लगे वाहन, सड़क के किनारे खड़े अवैध वाहनों एवं रेट्रोरिफलेक्टिव टेप की चेकिंग किया जाना तथा लेन ड्राइविंग के बार में चालकों को जागरूक किया जाना।</p> <p>3-सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत वाहन चालकों को राफ्ट्रिं में हेड लाइट के हाई बीम/लो बीम के प्रयोग के संबंध में जागरूक किया जाना।</p>	झंकन ड्राइविंग, ड्राइविंग, रेड ओवरस्पीडिंग, लाइट जपिंग, दो यूपीडा, यीडा एवं नगर पहिया वाहन पर तीन सवारी चेकिंग के विरुद्ध अभियान।	अपने शिभाग (लो०नि० वि०, ए०.ए०.ए.आ०. उपशा, यूपीडा, यीडा एवं नगर विकास विभाग) के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यस्थल पर वर्क जॉन सेप्टी के क्रियान्वयन का भौमिक सत्यापन कर सड़क सुरक्षा मानकों के क्रियान्वयन से संबंधित फोटोग्राफ तथा सूचना को प्रेषित किया जाना।	ए०आर०टी०ओ०, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सहयोग से बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का जनपद/निकटतम मेडिकल कॉलेज में आयोजित बेसिक ट्रायाल लाइफ सपोर्ट ग्रशिक्षण कार्ग्रम में प्रतिमाग किया जाना।	ए०आर०टी०ओ०, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सहयोग से व्यवसायिक वाहन चालकों/परिवालकों/प्राईवेट एम्बुलेंस कर्मी/टोल लाजा कर्मी/राजमार्गों पर स्थिति ढाबों के इच्छुक व्यक्तियों/पेट्रोल पम्प कर्मी/गैरुज के मैकेनिक/बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का बेसिक ट्रायाल लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण विक्रित्ता शिक्षण किभाग द्वारा आयोजित किया जाना।	

2618364/2023/-3

अष्टम दिवस	<p>पूर्वान्ह - दो पहिया वाहन की हेल्पेट (चालक एवं पीछे बैठी सवारी सहित), मोबाइल फोन, गलत दिशा (राँग साइड) में वाहन का संचालन करने के विस्तृत लोगों को जागरूक करते हुए प्रमाणी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना।</p> <p>अपरान्ह- अनधिकृत रूप से संचालित बसों के विरुद्ध चेकिंग अभियान।</p>	<p>परिवहन निगम के बस चालकों/परिचालकों को कोहरे में बस संचालित वसों के विरुद्ध चेकिंग अभियान के बाहरे में परिवहन विभाग का संचालन करना। राजमार्गों पर सड़क के किनारे स्थित ढाबों व ट्रक चालकों को याताधात निषेंगों के प्रति जागरूक किया जाए।</p>	<p>अनधिकृत रूप से संचालित बसों को विरुद्ध चेकिंग अभियान के बाहरे में बस संचालित वसों के विरुद्ध चेकिंग अभियान में परिवहन विभाग का संचालन करना।</p>	<p>1-वर्ष 2016, 2018, 2019 एवं वर्ष 2020 में चिह्नित व्हैले क स्पॉट के सुधारीकरण के अंतर्गत किये गये कार्यों का निरीक्षणपत्र उनमें पायी गयी कमियों के सापेक्ष सुधारीकरण कार्यवाही की जाए।</p> <p>2-वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 में चिह्नित ऐसे व्हैले क स्पॉट जिन पर सुधारीकरण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, ऐसे अवशेष व्हैले क स्पॉट का निरीक्षण तथा उन पर तात्कालिक सुधार वाले कार्यों को पूर्ण कराया जाए।</p>	<p>1-माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के रोड सेप्टी ब्ल्सों के माध्यम से भलिन दस्ती एवं अभिगृहित ग्रामों में जाकर जन-मानस को जागरूक किया जाना।</p> <p>2- सभी स्कूली वाहनों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परोक्षण राजकीय चिकित्सालयों में कराया जाना।</p>	<p>1- सभी स्कूली वाहनों के चालकों का सामान्य स्वास्थ्य एवं नेत्र परोक्षण राजकीय चिकित्सालयों में कराया जाना।</p> <p>2- iRAD मोबाइल एप के संबंध में समस्त जनपद के एनोआईओसी० में नियुक्त DISTRICT ROLL OUT Manager के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों द्वारा लम्बित सड़क दुर्घटनाओं के विवरण को एप पर फ़ीड किये जाने की समीक्षा।</p>
नवम दिवस	<p>पूर्वान्ह - दो पहिया वाहन की हेल्पेट (चालक एवं पीछे बैठी सवारी सहित), मोबाइल फोन, गलत दिशा (राँग साइड) में वाहन का संचालन करने के विस्तृत लोगों को जागरूक करते हुए प्रमाणी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना।</p> <p>अपरान्ह- अनधिकृत रूप से संचालित बसों के विरुद्ध चेकिंग अभियान।</p>	<p>परिवहन निगम की बसों में रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप, बैंक लाइट, इंडीकेटर, हेडलाइट, पंजीयन नम्बर प्लेट, सिड्क्रियों में शीशे लगे होने की चेकिंग किया जाना तथा इनमें से मानक के अनुरूप न पाये जाने पर उनका सुधार करना।</p> <p>सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत वाहन चालकों को रात्रि में हेड लाइट के हाई बीम/लो बीम के</p>	<p>1-स्वयं सेही संस्थाओं अथवा किसी अन्य संस्थान/ कम्पनी से प्रयोजित कराकर निःशुल्क रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप को लगाने हेतु प्रेरित किया जाय एवं लगावाया जाए। तथा सड़क के किनारे लगाने हेतु ऊर्वधर वाहनों को हटाया जाए एवं चालकों को लेन द्वाइंग के बारे में चालकों को जागरूक</p>	<p>1-पूर्व में विभिन्न ग्रामों पर स्थापित समस्त सड़क सुखा साइन बोर्ड तथा रोड मार्किंग का निरीक्षण किया जाना तथा सतिग्रस्त साइन बोर्ड/रोड मार्किंग को पुरन्स्थापित करने की कार्यवाही</p> <p>2-समस्त साइन बोर्ड की स्पष्ट दृश्यता हेतु वृक्षों/आड़ियों की छँटाई किया जाना।</p>	<p>उच्च प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के मध्य विज्ञ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।</p> <p>द्रामा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा कार्ययोजना बनाया जाना।</p>	

11		प्रदूषण के संबंध में जागरूक किया जाना।	किया जाना। 2-सड़क तुरंत के दृष्टिगत बहन वालों को औ यात्रि में हेडलाइट के लिए बीम/लो लीन के प्रयोग के संबंध में जागरूक किया जाना।		
दसवां दिवस	प्रदूषण जांच करने की योजना एवं भावक के अधिक प्रदूषण कैलने वाले वाहनों की योकिंग। मॉडलोइड साइलेन्सर/हटर/प्रेशर हार्न/टीजे पर कार्बो नियम की योकिंग।	परिवहन नियम के चालकों एवं परिवालों की वर्ती में उपर्युक्त करारक उनके अन्य सहकर सुरक्षा से संबंधित विधायी पर विभिन्न कम्पटीशन कार्यालय जाना तथा संघर्ष करना। परिवहन नियम के चालकों द्वारा उनके चालन के विशेष अनुभवों को साझा किया जाना। विविध कम्पटीशन में विजेता छमश प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिया जाना।	वाहनों पर हेडलाइट काली पुलिया के विभिन्न कालों पर आपरेशन सुखात्मक उपाय यथा- साइक्ल बोर्ड लाइन, ट्रैफिक कॉमिंग वजरी तथा दृश्यता हेतु अन्य हेड से अन्य प्रयोग करना। प्राविद्यान ट्रैलीनटरहं, आरपीएम० (फैट्स आई) आदि को स्थापित किया जाना तथा संकरी पुलिया पर पूर्ण में किय गये सुधारीकरण कार्यों का सञ्चालित उत्तर-रखाव किया जाए।	नई लकड़ी वाहनों के चालकों का सामान्य सामाजिक एवं नेत्र परिवर्तन की एम्बुलेंस के इण्डिप्रेटर्स का प्रशिक्षण रखने में विविध विभाग के कार्यशाली का नियोजन संभाली जै कराया किया जाना।	108 एम्बुलेंस/ एम्बुलेंस/ एम्बुलेंस/ एम्बुलेंस वे की एम्बुलेंस के इण्डिप्रेटर्स का प्रशिक्षण रखने में विविध विभाग के कार्यशाली का नियोजन किया जाना।
11 वां दिवस	प्रदूषण जांच करने की योकिंग एवं भावक से अधिक प्रदूषण कैलने वाले वाहनों की योकिंग। मॉडलोइड साइलेन्सर/हटर/प्रेशर हार्न की योकिंग।	परिवहन नियम की दर्तों की प्रदूषण एवं अन्य जांच यथा याइपर, इंडिकेटर, बैच लाइट, हेडलाइट, खिलकी एवं दरवाजों में लोहे तुरे गीरों की जांच कर उन्हें ठीक हालत में किया जाना।	समस्त आई०टी०एम०एरा० को यूपी० 112 से इंटीरेट किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना।	IRAD योगाइल एप के संबंध में समस्त जनपद के इण्डिप्रेटर्सी० में नियुक्त DISTRICT ROLL OUT Manager के साथ सम्बन्ध स्थापित करते हुए लोक निर्माण विभाग सहित सभी सड़क निर्माण एजेंसी को प्रशिक्षण देना तथा लियित 1-माध्यमिक विद्यालयों सभी अस्पतालों विविक्तिा	राजकीय विकेट्स लाई में समस्त व्यावसायिक वाहन चालकों एवं परिवहन नियम के बस चालकों का स्थाप्य जॉच कार्ड के अनुसार नेत्र एवं स्वारथ्य जॉच किया जाना। (तृतीय वरण)
12 वां	1- मालयाने द्वारा की जा रही परिवहन नियम की वसी रासी जनपदों में	परिवहन नियम की वसी रासी जनपदों में	प्रशिक्षण	देना तथा लियित 1-माध्यमिक विद्यालयों सभी अस्पतालों विविक्तिा	

W

2618364/2023/3

दिवस	<p>ओवर लोडिंग विशेष रूप से स्थान याते जनपदों में उदागम स्थल पर ही ओवरलोडिंग के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही किया जाए।</p> <p>2-गलत नं. प्लेट बिना एचएसआरपी तथा वाहन सड़क के किनारे खड़े अवैप वाहनों एवं रेट्रोरिफ्लेक्टिव टेप की चेकिंग किया जाना तथा लेन ड्राइविंग के द्वारा में चालकों को जागरूक किया जाना। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत वाहन चालकों को शत्रि में हेड लाइट के हाई बीम/लो बीम के प्रयोग के संबंध में जागरूक किया जाना।</p>	<p>की प्रदूषण एवं अन्य जांच यथा-याइपर, इडिकेटर, ऐक लाइट, हैडलाइट, खिड़की एवं दरवाजों में लो हाए शीशे की जांच कर रहे हैं, को सुनिश्चित किया जाना।</p>	<p>स्थापित ट्रैफिक रिशनल तथा सी०सी०टी०वी/ए०एन०पी०आर्ट आदि कैमरे सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, को सुनिश्चित किया जाना।</p>	<p>सड़क दुर्घटनाओं के विवरण को एप पर फोड़ करना।</p>	<p>एवं महाविद्यालयों में गठित रोड सेप्टी क्लबों द्वारा छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाना।</p>	<p>स्वास्थ्य एवं चिकित्सा (शिक्षा विभाग) में दोषहित एवं चार पहिया वाहन चालकों (मरीज एवं तीव्रदार) का नेत्र एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना।</p>
13 वाँ दिवस	<p>1-इंकन ड्राइविंग तथा ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना।</p> <p>2-स्कूली वाहनों की सड़क सुरक्षा के मानकों के अनुरूप फिटनेस की जांच एवं कार्यवाही किया जाना।</p> <p>3-यात्री वाहनों में समता से अधिक यात्री/सवारियों के पाये जाने पर नियमानुरूप कार्यवाही किया जाए।</p>	<p>परिवहन निगम के घालकों का इंकन ड्राइविंग के विरुद्ध ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण किया जाना।</p>	<p>इंकन ड्राइविंग तथा ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध ब्रेथ विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही, ट्रैफिक जाम के निवारण हेतु कार्योजना बनाना एवं कार्यवाही।</p>	<p>1-पूर्व में दिमिन मार्ग पर स्थापित समस्त सड़क सुरक्षा साइन बोर्ड तथा रोड मार्किंग का निरीक्षण किया जाना तथा कार्यान्वयन साइन बोर्ड/रोड मार्किंग को पुनर्स्थापित करने की कार्यवाही।</p>	<p>1-वैसिक एवं वायप्रिक विद्यालयों में परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया जाना।</p>	<p>IRAD भोजपुर एवं के संघ में समस्त जनपद के एन०आई०स०१६ में नियुक्त DISTRICT ROLL ०३४ नामांगृही के लाल समन्वय स्थापित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा लम्बित सड़क दुर्घटनाओं के विवरण के एप पर फोड़ किये जाने की समीक्षा।</p>
14 वाँ दिवस	<p>1-इंकन ड्राइविंग तथा ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही किया जाना।</p>	<p>परिवहन निगम के घालकों का इंकन ड्राइविंग के विरुद्ध ब्रेथ</p>	<p>इंकन ड्राइविंग तथा ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन टोल लाजा पर स्थाप्त</p>	<p>1-एसप्रेस चैलेन्जरी राइटी राजमार्ग पर स्थित समस्त टोल लाजा पर स्थाप्त</p>	<p>1-उच्च प्रायमिक एवं उच्च गिला के विचारियों के</p>	<p>राजकीय धोकात्सवों में शेष समस्त दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों</p>

2618364/2023/-3

	<p>2-सड़क वाहनों की सड़क सुरक्षा के मानकों के अनुरूप फिटनेस की जांच एवं कार्यवाही किया जाना।</p> <p>3-खानी वाहनों में छफता से अधिक यात्री/सवारियों के पाये जाने पर नियमानुरूप कार्यवाही किया जाए।</p>	एनलाइजर से परीक्षण कार्यवाही किया जाना।	विभाग के सहयोग से व्यवसायिक घाहन चालकों का स्थान्त्रण एवं नेत्र जॉच किया जाना।	फथ रोटोट्री एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना।	(भरोज एवं लोकारदार) का नेत्र एवं सामान्य स्वारथ्य परीक्षण शिविर का आयोजन।
15 वाँ दिवस	वाहन नलाते सभ्य सीट बेल्ट का प्रयोग न करने, HSRP न लगे वाहनों के विस्तृत प्रबंधन कार्यवाही।	परेवहन नियम की बत्ती की प्रदूषण एवं अन्य जांच यथा-वाइपर इडिकेटर, बैक लाइट, हेडलाइट, खिड़की एवं दरवाजों में लगे हुए शीशों की जांच कर उन्हें ठीक हालत में किया जाना।	झाहड़ी में आवासीय लैंगो में संचालित मार्केट तथा बिना पार्किंग वाली मार्केट में सड़क के किसी एक किनारे को पार्किंग हेतु निर्धारण कर बोर्ड लगाया जाना।	<p>1-एस्ट्रेस-वे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित समस्त टोल प्लाजा पर लेन-ड्राइविंग तथा ओवररसीडिंग न करने हेतु वाहन चालकों को प्रशिद्धित किया जाना तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया जाना।</p> <p>2-त्रोक निर्माण विभाग तथा नगर विकास विभाग द्वारा अपने अधीन मार्गों पर शीत झूलु में वाहन चालकों की सुविधा हेतु मार्गों पर लेन मार्किंग हेतु किये गये थर्मोप्लास्टिक पैट का निरीक्षण करते हुए</p>	प्रोजेक्ट ऐनेजरेट कंसल्टेंसी के माध्यम से जनपद के माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति प्रसिद्धित किया जाना।

2618364/2023/-3

				सुधारात्मक कार्यवाही की जाए।	
16 वें दिवस	याहन चलाते समय सीट बैर्ट का प्रयोग न करने, HSRP न लगे वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही।	परिवहन निगम के बस डिपो तथा बसों की स्थळता तथा बसों की फिटनेस का भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय/सहाइता क्षेत्रीय प्रबन्धक स्तर से कराते हुए कार्यवाही किया जाना तथा कृत कार्यवाही को मुख्यालय प्रेषित किया जाना।	1-शहरी में आवासीय क्षेत्रों में संचालित मार्केट तथा बिना पार्किंग वाली मार्केट में सड़क के किसी एक किनारे को पार्किंग हेतु निर्धारण कर बोर्ड लगाया जाना। 2-अवैध पार्किंग में खड़े वाहनों/अवैध टैप्सों एवं टैक्सी स्टैप्स के विरुद्ध प्रमाणी कार्यवाही किया जाना।	समस्त अभियंत्रण विभाग द्वारा मार्गों के समस्त जंक्शन/चौराहे पर ट्रैफिक कॉमिंग बेजर्स की स्थापना का भौतिक सत्यापन किया जाना तथा समस्त कमरातोड़ सीड ब्रेकर को हटाते हुए आवश्यकतानुसार क्षतिप्रस्त हो गये रम्बल स्ट्रिप् टेक्स्ट टॉप स्ट्रीडब्रेकर रोड पार्किंग आदि ट्रैफिक कॉमिंग मेजर्स की पुर्णस्थापना किया जाना।	2मास्टर ट्रेनर के माध्यम से जनपद के बैसिक माध्यमिक एवं उच्च शिल्प के शिल्पों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रति प्रशिलित किया जाना। MRAD मेंबाइल एप के सबध में समस्त जनपद के एन0आई0सी0 में नियुक्त DISTRICT 9011 OUT Manager के साथ समन्वय स्थापित करते हुए दिक्कित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा लम्बित सड़क दुर्घटनाओं के विवरण को एप पर छोड़ किये जाने की तभीता।
17 वें दिवस (दिनांक 31.12. 20)	जनपद के भा० जनप्रतिनिधि तथा जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की उपस्थिति में बस, ट्रक, ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों/एन0जी0आ०प् के माध्यम से सड़क सुरक्षा पछवाड़ा समापन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना। हेल्पेट वितरण का कार्यक्रम तथा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एन0जी0आ०/गुड सेमेरिटन /मास्टर ट्रेनर/ रोड सेफ्टी वल्य को सम्मानित किया जाना।	परिवहन निगम के चालकों/परिचालकों की उपरियति में समापन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना तथा उत्कृष्ट द्वारा करने वाले चालक/परिचालक/ सफाई कर्मियों को सम्मानित किया जाना।	ट्रैफिक व्यवस्था हेतु इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का परीक्षण करते हुए उसकी जानकारी ट्रैफिक कर्मियों को दिया जाना तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले ट्रैफिक पुलिस के 03 कर्मियों को सम्मानित किया जाना।	लो०निं०वि० एन०एच०आ०इ० उपशा, यूपीडा, यीडा एवं नगर विकास विभाग के भूम्यालय हारा दिवसवार सूचनाएं एवं फोटोग्राफ जंकलित कर परिवहन आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किया जाए।	समस्त दिवसों की सूचनाएं फोटोग्राफ सहित संकेतित कर अपने-अपने रूपायित मुख्यालय को प्रेषित किये जाने के पश्चात परिवहन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

नोट- सड़क सुरक्षा पखवाड़ की कृत कार्यवाही को रिपोर्ट 02 छार्ट रिजोल्यूशन फोटोग्राफ सहित है- भेज aters-up@nic.in पर पखवाड़ की समाप्ति के उपरान्त 03 छार्ट दिवस में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

प्रकाशन/प्रिया प्रदीप
प्रकाशन/प्रिया प्रदीप

ਪੰਜਾਬ

दुग्धी राष्ट्रम् मित्र,
मुष्यते सधिय,
उत्तर वदेश शासन

संख्या में

- 1 समस्त मण्डल-बुक्स, ३०५०।
 - 2 समस्त उप प्रशिक्षण संस्थानीयोग्य, ३०८०।
 - 3 समस्त जिल्हापिकारी, ३०५०।
 - 4 पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमध्येश्वरनगर/काशीपुर/याराणी/आसद/ गाजियाबाद/प्रयागराज
 - 5 समस्त धर्माल्प पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, ३०५०।

परिवर्तन अधिकारी

संदर्भ दिनांक १५ अक्टूबर २०२४

दिवाय: दर्श 2023-24 में हितीय सङ्क मुद्रा पक्षमाहा दिनांक 15-12-2023 से 31-12-2023 तक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

मासिक

उपर्युक्त प्रियता के सम्बन्ध में अवगत जाना है कि प्रियत वर्ष में रीत शृंग में घने कोहरे य कम हस्तया होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की सनातना बढ़ जाती है। ऐसे शृंग में दुर्घटनाओं पर अधिक लगाये जाने के प्रयोजनार्थ सभी सड़क प्रयोगताओं (समस्त प्रकार के गाहन चालों के एवं पैदल यात्रियों) तथा आम-जनमानस लोगों गाहन किया जाना आवश्यक है। इस रूप अन्तर्विमानों द्वारा सम्बन्ध के साथ वृद्ध अक्षियां लगाया जाना अनियाई है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि लीट एक्ट से सड़क दुर्घटनाओं व उनसे संबंधित अन्य संभावित दोषीयों के खिलाफ अपनी लायी जाने के उद्देश्य से SE-एनजीएन, एनजीसीट, इनजीनियरिंग, इमरजेंसी कंपनी और इन्डस्ट्रीलैट पर जोकर करते रहते हुए, एकजुट होकर कार्य करना है। उक्त के उद्देश्य सड़क सुरक्षा से जुड़े समस्त विभागों- परिवहन विभाग, गृह विभाग, लोक नियोग विभाग, परिकल्पना विभाग तथा शिक्षा विभाग की कार्यव्योजनाके आधार पर विनियोग एवं 2023-24 में दिनांक सड़क सुरक्षा वडावडा दिनाक 15 दिसंबर, 2023 से दिनाक 31 दिसंबर, 2023 तक मनाए जाने की निर्देश दिया गया है।

१ एप्रिल सत्रान कार्यक्रम के मनोभास सङ्केत सुरक्षा प्रणाली को सक्षम बनाने हेतु यह आवश्यक संविधित विभागी से परस्पर समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्यक्रमों की जांच तथा विभिन्न इंसेफलोगिक सीडिए के मापदण्ड से इसका व्यापक प्रधार-प्रधार सुनिश्चित कराया जाये।

प्रवास

Digitized by gutenberg.org

Date 05-12-2023 17:01:15

Digitized by srujanika@gmail.com

मुख्य संग्रह

मंत्रया एवं द्वितीय नदेष्टपा

परिस्थिति निरन्तरित थे सूधार्य ८० आवश्यक लाईयाही तु प्रिय

- निर्माण संचय, भारत परिवहन बोर्ड जी, ३००० शास्त्रान्।
 - स्ट्रिंग मैटिलर, गुणवत्ता संचय, ३००० शास्त्रान्।
 - अपर गुणवत्ता संचय/प्रमुख संचय, गृह इमारत, ३००० शास्त्रान्।
 - अपर गुणवत्ता संचय/प्रमुख संचय, लोक निर्माण इमारत, ३००० शास्त्रान्।
 - भारत गुणवत्ता संचय/प्रमुख संचय, विभिन्न स्थानों पर परिवार कल्याण फ़िल्म्स, १००० शास्त्रान्।
 - अपर गुणवत्ता संचय/प्रमुख संचय विभिन्न स्थानों पर विभिन्न फ़िल्म्स ३००० शास्त्रान्।
 - अपर गुणवत्ता संचय/प्रमुख संचय, इच्छा इमारत, ३००० शास्त्रान्।
 - अपर गुणवत्ता संचय/प्रमुख संचय, साम्प्रदायिक विभाग इमारत, ३००० शास्त्रान्।
 - अपर गुणवत्ता संचय/प्रमुख संचय, देविल विभाग इमारत, ३००० शास्त्रान्।
 - अपर गुणवत्ता संचय/प्रमुख संचय, भौतिक विभाग इमारत, ३००० शास्त्रान्।
 - अपर गुणवत्ता संचय, भगवान विभाग इमारत, ३००० शास्त्रान्।
 - पुस्तिका सामानिटेशन, ३००१।
 - परिचयन्त्र अध्ययन ३००० शास्त्रान्।
 - गुणवत्ता वार्षिक अधिकारी फोटो/पृष्ठां।
 - पर्याप्त निर्देशक, ३००० वार्षिकीयोद्योग विभाग सचिवालय।
 - विदेशी वाचन भाष्य ३००० वर्षांत।
 - गांडी कार्यक्रम।

प्रश्न

Digitized by srujanika@gmail.com

प्रभुज साप्तर